कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, संत कबीर नगर।

पत्रांकः 1042/7–पं0/स्व0भा0मि0(ग्रा0) फेज–2/आर0आर0सी0/2025–26 दिनांकः 19 जून, 2025

समस्त सहायक विकास अधिकारी (पं0),
जनपद–संत कबीर नगर।

विषयः–स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 योजनान्तर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के दृष्टिगत निर्मित आर0आर0सी0 के रखरखाव/संचालन के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक महोदय, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश के पत्र संख्याः 5/1774/2024–5/20 लखनऊ दिनांकः 14 नवम्बर, 2024 द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 योजनान्तर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामों को ओ0डी0एफ प्लस मॉडल के रूप में विकसित किया जाना लक्षित है। ओ0डी0एफ0 प्लस के मानकों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों में आर0आर0सी0 का निर्माण कराया जा रहा है, परन्तु प्रायः यह देखा गया है कि ग्राम पंचायतों में निर्मित आर0आर0सी0 संचालित नही हो रहें है। आर0आर0सी0 के संचालन के लिए आवश्यक है कि स्रोत से (घर पर) ही गीले और सूखे कचरे को अलग–अलग करके इस कार्य के लिए निर्धारित वाहन द्वारा एकत्रित कराया जाये तथा आर0आर0सी0 पर लाकर कचरे का समुचित प्रकार से प्रबन्धन/निपटान की व्यवस्था बनायी जाये। गीले कचरे से खाद तैयार करने एवं सूखे कचरे को कबाडी वालों/रिसायकलर्स आदि के माध्यम से निस्तारित कराने की व्यवस्था बनाई जाये। ग्राम पंचायतों में पॉलीथीन/प्लास्टिक के प्रयोग को हतोत्साहित किया जाये। इस प्रकार ग्राम पंचायत के सभी घरों, वाणिज्यिक संस्थानों, सरकारी संस्थानों से दैनिक रूप से उत्सर्जित कचरे के प्रबंधन के लियें आर0आर0सी0 के संचालन की व्यवस्था बनाया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है, जिस हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर निम्न गतिविधियां आयोजित किया जाना अनिवार्य होगाः–

1. ग्रामसभा की खुली बैठक आयोजित कर कूड़ा कलेक्शन हेतु प्रस्ताव पारित किया जाना तथा बैठक की कार्यवाही, कार्यवाही रजिस्टर में अंकित होना चाहिए।
2. बैठक में लिए गये निर्णय का प्रस्ताव की सूचना लिखित में होना चाहिए।
3. ई–रिक्शा का रूट चार्ट, ई–रिक्शा के चालन हेतु ग्राम पंचायत में तैनात सफाई कर्मचारी/दैनिक मजदूरी पर मस्टरोल के आधार पर मजदूर का नाम एवं मोबाईल नं0, आर0आर0सी0 अथवा गलियों में मुख्य द्वार पर अंकित किया जाना।
4. रूट चार्ट के अनुसार प्रतिदिन वाहन को चलाया जाए जिस पर माईकिंग की व्यवस्था हो।
5. प्रतिदिन कितने परिवारों से कूड़ा कलेक्शन किया जा रहा है, उसका विवरण रजिस्टर में होना चाहिए।
6. कूड़े का निस्तारण कहां किया जा रहा है? आर0आर0सी0 अथवा डम्पिंग यार्ड में इसका विवरण अंकित किया जाए।
7. आर0आर0सी0 में सेग्रीगेशन हो रहा है या नही तथा सेग्रीगेशन किया हुआ कूड़ा अलग–अलग रखा जा रहा है या नही। सेग्रिगेशन का कार्य स्वयं सहायता समूह/दैनिक मजदूरों के माध्यम से कराया जाय और उनकी दैनिक मजदूरी मनरेगा में देय दर से अधिक न हों और कार्य दिवस का विवरण भी प्रमाणित रजिस्टर में दर्ज किया जाय।
8. सड़े हुए कूड़े का किन–किन स्थानों पर निस्तारित किया जा रहा है, का विवरण।

Scanned with OKEN Scanner

9. वर्मी कम्पोस्ट बना है या नही, यदि नही तो तत्काल बनवाना सुनिश्चित करें।
10. ग्राम पंचायत में ओ0एस0आर0 जनरेट हो रहा है कि नही, जनरेट हो रहे ओ0एस0आर0 का विवरण।

सुरक्षा के दृष्टिकोण से निदेशक महोदय, पंचायतीराज, उ0प्र0 के पत्र संख्या–2/5562/2024–2/43/विविध/2010 लखनऊ दिनांक: 16 दिसम्बर, 2024 में संलग्नक के रूप में **शासनादेश संख्या–1672/33–1–2009 दिनांक: 09 जून, 2009 के बिन्दु संख्या–8 में वर्णित प्रत्येक सफाई कर्मी को सफाई उपकरण एवं सामग्री (शासनादेश में वर्णित सामग्री–ठेलिया ट्राली लोहे की, फावडा, डलिया, खुरपा, तौलिया, झाड़ू, साबुन, ब्लिचिंग पाउडर, फिनायल) ग्राम पंचायत के प्रधान द्वार उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है।** उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी अन्य सामग्री की आवश्यकता प्रतीत होती है कि ग्राम पंचायत द्वारा आवश्यकतानुसार क्रय की जा सकेगी। उपरोक्त उपकरण एवं सामग्री की व्यवस्था यथा सम्भव ग्राम पंचायत की आय के स्रोत से अथवा ग्राम पंचायत को केन्द्रीय/राज्य वित्त आयोग की संक्रिमत धनराशि से सुनिश्चित की जायेगी।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि आर0आर0सी0 संचालन हेतु उक्तानुसार समस्त गतिविधियां पूर्ण कराते हुए आर0आर0सी0 का संचालन सुचारू रूप से नियमित तौर पर कराना सुनिश्चित करें। जैसा कि आप सभी अवगत ही है कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण–2025 दिनांक: 15 जून, 2025 से पूरे प्रदेश में लागू होने जा रहा है, जिसमें भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की तरफ से आर0आर0सी0 संचालन हेतु डोर–टू–डोर कूडा कलेक्शन अत्यन्त ही महत्वपूर्ण भूमिका में होगा, जिस निमित्त उक्तानुसार सम्बन्धित सचिवों से कार्य की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

नोटः–किसी भी ग्राम में भ्रमण/निरीक्षण के समय यदि प्लास्टिक अपशिष्ट पाये जाते है तो सम्बन्धित सचिव एवं सफाई कर्मी का दायित्व निर्धारित करते हुये उनके विरूद्ध कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी।

(जयकेश त्रिपाठी)
मुख्य विकास अधिकारी
संत कबीर नगर
19/6/2025

पत्रांक व दिनांकः उक्त प्रकार।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, संत कबीर नगर की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. उपनिदेशक (पं0), बस्ती, मण्डल–बस्ती।
3. जिला पंचायतराज अधिकारी, संत कबीर नगर।
4. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, संत कबीर नगर।
5. समस्त ग्राम प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पं0), जनपद–संत कबीर नगर।

मुख्य विकास अधिकारी
संत कबीर नगर।

Scanned with OKEN Scanner